न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 1/11/2020 जीसीएमएस सं0 2020/00099 दर्ज तिथिः– 09.01.2020

1. महेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर .....वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बक्सा
2. भागीरथ पुत्र बक्सा
3. मेवली पत्नि बक्सा
4. भागादेवी पुत्री भौरी
5. भोलीदेवी पुत्री भौरी
6. ईश्वर पुत्र ग्यारसा
7. जगदीश पुत्र ग्यारसा
8. रामेश्वर पुत्र ग्यारसा
9. रेवड पुत्र ग्यारसा
10. मूलचन्द पुत्र ग्यारसा
11. रामजीलाल पुत्र ग्यारसा
12. धन्नी पत्नि ग्यारसा
13. हीरा पुत्री ग्यारसा
14. माधो पुत्र पांच्या
15. गुलजारी पुत्र पांच्या
16. काना पुत्र पांच्या
17. झूंथी पत्नि स्व0 पांच्या
18. बाई पुत्री पांच्या
19. ख्यालीराम पुत्र छोटू
20. बोदूराम पुत्र छोटू
21. रमेश पुत्र रामपाल
22. कमलेश पुत्र रामपाल
23. बोदीदेवी बेवाह बाबूलाल
24. लीलाराम पुत्र बाबूलाल नाबालिग बसरपरस्ती बोदीदेवी माताखुदा

सभी जातियान मीना समस्त निवासीयान जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 .....असल प्रतिवादीगण

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।
26. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा झिरी जरिये शाखा प्रबंधक।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपड़ा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः–श्री अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज.

–:निर्णय :–

निर्णय तिथि:– 21.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा नंबर 272 रकबा 17.70 है0 वाकै ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 227/1770 हिस्सा व असल प्रतिवादीगण का 1543/1770 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित रहने व उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तलब किया गया। तहसीलदार थानागाजी द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/800 दिनांक 19.05.2025 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की। वादी अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070–2073 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादी हाल आराजी खसरा नंबर 272 रकबा 17.70 है0 वाकै ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादी का 227/1770 हिस्सा व असल प्रतिवादीगण का 1543/1770 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादी की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् को विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

4. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते मे दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते मे दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा नंबर 272 रकबा 17.70 है0 वाकै ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार प्रतापगढ को दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

क्र. स.	खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
1	महेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति मीना हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार	272/1	2.50 है0		
	कुल किता 01 रकबा 2.50 है0				
2	ईश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, गुलजारी पुत्र पांच्या हिस्सा 833/15000, छोटू पुत्री भौरी हिस्सा 833/15000, जगदीश पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, झूंथी पुत्री पांच्या हिस्सा 833/15000, धन्नी पुत्री भौरी हिस्सा 833/15000, बाई पुत्री पांच्या हिस्सा 833/15000, मूलचन्द पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, माधो पुत्र पाच्या हिस्सा 833/15000, रामेश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, हीरा पुत्री ग्यारसा हिस्सा 833/15000 सभी बिना रहन, काना पुत्र पांच्या हिस्सा 833/15000, धन्नी पत्नी ग्यारसा हिस्सा 833/15000, रेवड पुत्र ग्यारसा 833/15000, रामजीलाल पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, रामस्वरूप पुत्र बक्सा हिस्सा 833/15000 सभी राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झिरी, बोदनलाल पुत्र छोटू हिस्सा 209/1875 राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा निम्स मूर्तहीन जाति मीना साकिन देह खातेदार	272/2	15.00 है0		
	ईश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, गुलजारी पुत्र पांच्या हिस्सा 1/21, छोटू पुत्री भौरी हिस्सा 1/21, जगदीश पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, झूंथी पुत्री पांच्या हिस्सा 1/21, धन्नी पुत्री भौरी हिस्सा 1/21, बाई पुत्री पांच्या हिस्सा 1/21, मूलचन्द पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, महेश चन्द्र पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/7, माधो पुत्र पांच्या हिस्सा 1/21, रामेश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, हीरा पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/21 सभी बिना रहन, काना पुत्र पांच्या हिस्सा 1/21, धन्नी पत्नी ग्यारसा हिस्सा 1/21, रेवड पुत्र ग्यारसा 1/21, रामजीलालू पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, रामस्वरूप पुत्र बक्सा हिस्सा 1/21 सभी राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झिरी, बोदनलाल पुत्र छोटू हिस्सा 2/21 राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा निम्स मूर्तहीन जाति मीना साकिन देह खातेदार	272/3	0.20 है0		

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(पिंकी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
थानागाजी-अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आरएएस.)

वाद संख्या:– 1/11/2020 जीसीएमएस सं0 2020/00099 दर्ज तिथि:– 09.01.2020

1. महेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर .....वादी

वनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बक्सा
2. भागीरथ पुत्र बक्सा
3. मेवली पत्नि बक्सा
4. भागादेवी पुत्री भौरी
5. भोलीदेवी पुत्री भौरी
6. ईश्वर पुत्र ग्यारसा
7. जगदीश पुत्र ग्यारसा
8. रामेश्वर पुत्र ग्यारसा
9. रेवड पुत्र ग्यारसा
10. मूलचन्द पुत्र ग्यारसा
11. रामजीलाल पुत्र ग्यारसा
12. धन्नी पत्नि ग्यारसा
13. हीरा पुत्री ग्यारसा
14. माधो पुत्र पांच्या
15. गुलजारी पुत्र पांच्या
16. काना पुत्र पांच्या
17. झूंथी पत्नि स्व0 पांच्या
18. बाई पुत्री पांच्या
19. ख्यालीराम पुत्र छोटू
20. बोदूराम पुत्र छोटू
21. रमेश पुत्र रामपाल
22. कमलेश पुत्र रामपाल
23. बोदीदेवी बेवाह बाबूलाल
24. लीलाराम पुत्र बाबूलाल नायालिग बसरपरस्ती बोदीदेवी माताखुदा

सभी जातियान मीना समस्त निवासीयान जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल प्रतिवादीगण

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।
26. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा शिरी जरिये शाखा प्रबंधक।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता:– श्री रामकरण चौपडा।
प्रतिवादी अधिवक्ता:–श्री अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा नंबर 272 रकबा 17.70 है0 वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रैस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार प्रतापगढ को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
1	महेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति मीना हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार	272/1	2.50 है0		
	कुल किता 01 रकबा 2.50 है0				
2	ईश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, गुलजारी पुत्र पांच्या हिस्सा 833/15000, छोटू पुत्री भौरी हिस्सा 833/15000, जगदीश पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, झूंथी पुत्री पांच्या हिस्सा 833/15000, धन्नी पुत्री भौरी हिस्सा 833/15000, बाई पुत्री पांच्या हिस्सा 833/15000, मूलचन्द पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, माधो पुत्र पांच्या हिस्सा 833/15000, रामेश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, हीरा पुत्री ग्यारसा हिस्सा 833/15000 सभी बिना रहन, काना पुत्र पांच्या हिस्सा 833/15000, धन्नी पत्नी ग्यारसा हिस्सा 833/15000, रेवड पुत्र ग्यारसा 833/15000, रामजीलाल पुत्र ग्यारसा हिस्सा 833/15000, रामस्वरूप पुत्र बक्सा हिस्सा 833/15000 सभी राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झिरी, बोदनलाल पुत्र छोटू हिस्सा 209/1875 राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा निम्स मुर्तहीन जाति मीना साकिन देह खातेदार	272/2	15.00 है0		
	ईश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, गुलजारी पुत्र पांच्या हिस्सा 1/21, छोटू पुत्री भौरी हिस्सा 1/21, जगदीश पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, झूंथी पुत्री पांच्या हिस्सा 1/21, धन्नी पुत्री भौरी हिस्सा 1/21, बाई पुत्री पांच्या हिस्सा 1/21, मूलचन्द पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, महेश चन्द पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 1/7, माधो पुत्र पांच्या हिस्सा 1/21, रामेश्वर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, हीरा पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/21 सभी बिना रहन, काना पुत्र पांच्या हिस्सा 1/21, धन्नी पत्नी ग्यारसा हिस्सा 1/21, रेवड पुत्र ग्यारसा 1/21, रामजीलाल पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/21, रामस्वरूप	272/3	0.20 है0		

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

	पुत्र बक्सा हिस्सा 1/21 सभी राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झिरी, बोदनलाल पुत्र छोटू हिस्सा 2/21 राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा निम्स मूर्तहीन जाति मीना साकिन देह खातेदार				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(विकी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड थानागाजी-अलवर
थानागाजी (अलवर) राज0

सत्यमेव जयते
थानागाजी-अलवर